In the Court of IXth Addl. Distt. Judge, Muzaffarpur
L.A. 42/2019

<u>15.03.2021</u> आवेदिका के तरफ से 22 rule (4) का आवेदन दिनांक 01.03.21 को प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया है कि इस वाद के विपक्षी संख्या–3 श्री घनश्याम शुक्ला की मृत्यु दिनांक 21.07.2020 को हो चुका है।

अतः आवेदन में वर्णित इन के विधिक वारीसान को प्रतिस्थापित किया जाए, इस आशय का आवेदन इनके विपक्षी के तरफ से पूर्व में भी दिया गया था कि मृतक विपक्षी संख्या–3 के विधिक वारीसान को प्रतिस्थापित किया जाए। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्पित है तथा उभय पक्षों द्वारा दिया गया आवेदन में वर्णित विधिक वारीसान का नाम tally करता है। प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अन्दर है। अतः उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तद्नुसार आवेदन में सुधार करें।

दिनांक 15.04.2021 वास्ते विपक्षी के उपस्थिति हेतु आवेदिका नय प्रतिस्थापित विपक्षी के लिए requsits दाखिल करें।

लेखापित
Sd/-
IX th Addl. Distt. Judge,